

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा / छाप्रोप्र / डी / विविध / 2019

दिनांक : 03.07.19

परिपत्र

प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में दिनांक 19.06.2019 को सम्पादित बैठक में लिए गए निर्णय उपरान्त जारी कार्यवाही विवरण दिनांक 26.06.2019 की अनुपालना में प्रतिवर्ष विभिन्न छात्रवृत्तियों के समयबद्ध आवेदन एवं वितरण हेतु कलेण्डर निम्नानुसार रहेगा। समस्त सम्बन्धित पक्ष तदनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :-

क्र.सं.	गतिविधि	समय सीमा	उत्तरदायी कार्यालय / अधिकारी
छात्रवृत्ति आवेदन तथा समेकित प्रस्ताव भारत/राज्य सरकार को भिजवाया जाना			
1	छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु आदेश जारी करना	प्रतिवर्ष विद्यालयों में प्रवेश प्रारंभ होने से 15 दिवस पूर्व	प्रभारी छात्रवृत्ति, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर
2	विद्यार्थियों से छात्रवृत्ति आवेदन प्राप्त करना तथा प्राप्त आवेदनों को शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करना	प्रतिवर्ष प्रवेश प्रारंभ होने की तिथि से प्रवेश की अंतिम तिथि के 07 दिवस पश्चात् तक	समस्त विद्यालयों के संस्थाप्रधान
3	छात्रवृत्ति आवेदनों को ऑनलाईन निदेशालय स्तर पर समेकित करना तथा राज्य सरकार को भिजवाया जाना (ई-मेल तथा व्यक्तिशः)	छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि के 07 दिवस पश्चात् तक	प्रभारी छात्रवृत्ति, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर
4	समेकित प्रस्ताव को राज्य सरकार से अनुमोदन करवाते हुए भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय को भिजवाना	निदेशालय से समेकित प्रस्ताव (जरिये ई-मेल/ व्यक्तिशः) प्राप्त होने के 10 दिवस में	शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग तथा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
5	उपरोक्त प्रस्तावों के क्रम में सम्बन्धित मंत्रालय से फॉलोअप मीटिंग करना	समेकित प्रस्ताव मंत्रालय को भिजवाए जाने के 07 दिवस में	शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग तथा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
छात्रवृत्ति भुगतान तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भिजवाने के सम्बन्ध में			
6	माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को छात्रवृत्ति राशि की स्वीकृति जारी करना (ई-मेल द्वारा)	भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय से राशि प्राप्त होने के 07 दिवस में	शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग तथा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
7	निदेशालय माध्यमिक शिक्षा द्वारा राशि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय / संस्कृत एवं प्रारंभिक शिक्षा को जारी करना (ई-मेल द्वारा)	राज्य सरकार से छात्रवृत्ति राशि स्वीकृति प्राप्त होने के 03 दिवस में	सहायक निदेशक, छात्रवृत्ति अनुभाग के माध्यम से वित्तीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
8	जिले के समस्त पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को भिजवाया जाना (डी.बी.टी. द्वारा विद्यार्थी को लाभान्वित कर)	माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर से छात्रवृत्ति बजट राशि प्राप्त होने के 30 दिवस में	समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय/संस्कृत एवं प्रारंभिक शिक्षा

9	समेकित उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य सरकार को भिजवाया जाना (व्यक्तिशः)	राज्य सरकार से छात्रवृत्ति राशि स्वीकृति प्राप्त होने के 40 दिवस में	सहायक निदेशक, छात्रवृत्ति अनुभाग के माध्यम से वित्तीय सलाहकार/उपनिदेशक (योजना), माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
10	उपयोगिता प्रमाणपत्र सम्बन्धित मंत्रालय भारत सरकार को भिजवाया जाना (व्यक्तिशः)	माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के 05 दिवस में	शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग तथा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
11	संशोधित बजट प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जाना (यदि आवश्यकता हो)	प्रतिवर्ष नवम्बर माह तक	प्रभारी छात्रवृत्ति, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर



(नथमल डिडेल)


IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
7. उप निदेशक (योजना), कार्यालय हाजा।
8. समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय को पालनार्थ।
10. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा प्रकाशन, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि माह जुलाई, 2019 की शिविरा पत्रिका में आदेश-परिपत्र के अन्तर्गत प्रकाशित करावें।
11. उपनिदेशक, माध्यमिक कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि छात्रवृत्ति के इस कलेण्डर को प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा के निर्देशानुरूप शिविरा कलेण्डर सत्र 2019-20 में सम्मिलित करावें।
12. उपायुक्त-तृतीय, शालादर्पण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि एन.आई.सी. एवं डी.ओ.आई.टी. से समन्वय कर निर्धारित कलेण्डर के अनुरूप शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ करावे एवं संस्था प्रधानों के लिए यूजर मेन्यूअल अविलम्ब उपलब्ध करवाते हुए सुचारु तकनीकी सहायता सुनिश्चित करावें।
13. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., शालादर्पण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
14. प्रभारी अधिकारी, भामाशाह योजना, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर।
15. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उडान परियोजना, आई.पी.ई.ग्लोबल, जयपुर।
16. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।



निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/SC-ST/2019-20

दिनांक : 03.07.2019

विस्तृत दिशानिर्देश वर्ष 2019-20

कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित)

1. पात्रता/शर्तें :-

- छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का ही हो।(छात्र/छात्रा का जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
- छात्र/छात्रा राजकीय/शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
- छात्र/छात्रा के माता-पिता या उनके संरक्षक (माता-पिता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय अनुसूचित जाति हेतु 2.50 लाख एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 2.00 लाख से अधिक नहीं हो।
- छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
- छात्र/छात्रा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
- छात्र/छात्रा पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।

2. छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैं : अनुसूचित जाति हेतु

कक्षा	विवरण	दरें	
		डेस्कॉलर	हॉस्टलर
9 व 10	छात्रवृत्ति/माह (अधिकतम 10 माह के लिए)	225 रुपये	525 रुपये
9 व 10	पुस्तकें व एडहॉक ग्राण्ट प्रति वर्ष (एक मुश्त)	750 रुपये	1000 रुपये

अनुसूचित जनजाति हेतु

कक्षा	विवरण	दरें	
		डेस्कॉलर	हॉस्टलर
9 व 10	छात्रवृत्ति/माह (अधिकतम 10 माह के लिए)	150 रुपये	350 रुपये
9 व 10	एडहॉक ग्राण्ट प्रति वर्ष (एक मुश्त)	750 रुपये	1000 रुपये

3. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है :-

- छात्र/छात्रा के माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) का आय स्वघोषणा पत्र
- छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका (स्वप्रमाणित प्रति)।
- विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण-पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो (स्वप्रमाणित प्रति)।
- विद्यार्थी स्वयं की बैंक पासबुक व आधार कार्ड तथा परिवार भामाशाह कार्ड की छायाप्रति(स्वप्रमाणित प्रति)।

आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथियां निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
(अ)	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मंजूर संलग्नक जमा कराने की कार्यवाही	01.07.2019	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तय प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस में
(ब)	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	01.07.2019	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तय प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस में
(स)	निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा/निदेशालय संस्कृत शिक्षा द्वारा समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	--	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तय प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस में

पूरित आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। निजी विद्यालयों के आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय नोडल विद्यालय के द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे।



(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

राजस्थान सरकार
पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन पत्र प्रारूप
वर्ष 2019-20

विद्यार्थी का
स्वप्रमाणित
फोटो

विद्यार्थी की छात्रवृत्ति यूनीक आई.डी.....
(पूर्ति संस्थाप्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल से की जावेगी)

विद्यालय का नाम		:			
छात्रवृत्ति योजना का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है		:			
विद्यार्थी का विवरण						
1	विद्यार्थी का नाम	:			
2	जन्म तिथि	:	DD	MM	YYYY	
3	धर्म (हिन्दु/मुस्लिम/सिख/ईसाई/पारसी/बौद्ध/जैन/अन्य)	:			
4	लिंग(पुरुष/महिला/ट्रांसजेण्डर)	:			
5	कक्षा जिसमें अध्ययनरत है	:			
6	विद्यार्थी का S.R.नम्बर (विद्यालय द्वारा भरा जावे)	:			
6	गत कक्षा के विद्यालय का नाम व पता	:			
7	गत वर्ष की कक्षा एवं प्राप्तांक का विवरण (कक्षा 1-8 में ग्रेड-ए/बी/सी/डी/ई एवं कक्षा 9-12 में प्रतिशत)	:	कक्षा	पूर्णांक	प्राप्तांक	ग्रेड/प्रतिशत
8	जाति वर्ग (अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/सामान्य/अल्पसंख्यक)	:			
9	डे-स्कॉलर/हॉस्टलर	:			
10	बैंक खाता संख्या	:			
11	बैंक एवं शाखा का नाम	:			
12	बैंक शाखा का आई.एफ.एस.कोड (IFSC)	:			
12	बैंक शाखा का एम.आई.सी.आर.कोड (MICR)	:			
13	बैंक खाता आधार सीडेड है (हां/नहीं)	:			
14	विद्यार्थी का आधार नम्बर	:			
15	आधार का एनरोलमेन्ट नम्बर (यदि विद्यार्थी ने आधार के लिए आवेदन किया हो परन्तु उसे आधार नम्बर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हो)	:			
16	भामाशाह नम्बर	:			
17	भामाशाह का एक्नोलेजमेन्ट नम्बर (यदि विद्यार्थी के परिवार ने भामाशाह परिवार कार्ड के लिए आवेदन किया हो परन्तु उन्हें भामाशाह परिवार कार्ड अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हो)	:			
18	छात्र का बैंक खाता भामाशाह डाटा से लिंक है (हां/नहीं)	:			
19	विद्यार्थी का मोबाईल नम्बर	:			
20	विद्यार्थी का ई-मेल आई.डी.	:			
विद्यार्थी के परिवार का विवरण						
21	पिता का नाम	:			
22	माता का नाम	:			
23	संरक्षक का नाम (माता-पिता के जीवित ना होने पर)	:			
24	परिवार की वार्षिक आय	:			
25	स्थाई पता/जिले का नाम/राज्य का नाम	:			
26	राशन कार्ड नम्बर	:			
27	क्या विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता प्राप्त कर रहा है (हां/नहीं) यदि हां तो विवरण दें	:			

क्र.सं.	योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	संलग्न कर <input checked="" type="checkbox"/> करें
1	माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) का आय स्वघोषणा-पत्र	
2	छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका (स्वप्रमाणित प्रति)।	
3	विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण-पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।	
4	विद्यार्थी की बैंक पासबुक, आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड (स्वप्रमाणित प्रति)।	
5	माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) के सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लिप्त होने का प्रमाण-पत्र	
6	माता-पिता के ग्री-करगिल एवं पोस्ट-करगिल युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिक होने का प्रमाणपत्र	
7	भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाणपत्र (डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र एवं परिचय पत्र अथवा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र)।	

नोट :- वांछित दस्तावेज संलग्न करते हुए सामने के कॉलम में का निशान अंकित करें।

हस्ताक्षर विद्यार्थी

माता-पिता/संरक्षक द्वारा घोषणा

मैं (माता-पिता/संरक्षक) घोषणा करता हूँ/करती हूँ की मैंने योजना संबंधी सभी नियमों/निर्देशों की भली भांति अध्ययन कर लिया है। छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज में अंकित आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर, बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी.कोड सही है एवं छात्र/छात्रा किसी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा है। विद्यार्थी का बैंक खाता उसके आधार से सीडेड तथा भामाशाह डाटा से लिंक है। मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विवरण, संलग्न दस्तावेज, इस घोषणा में अंकित सूचनाएं गलत पाये जाने की स्थिति में यदि छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है तो इसका समस्त दायित्व मेरा स्वयं का होगा। भविष्य में किसी भी प्रकार की जांच प्रक्रिया में मेरे द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं अथवा दस्तावेज गलत पाए जाने की स्थिति में मेरे विरुद्ध पुलिस/वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी तथा मैं प्राप्त छात्रवृत्ति वापिस जमा करवाने का वचन देता हूँ/देती हूँ।

दिनांक :

हस्ताक्षर जांचकर्ता/कक्षाध्यापक

माता-पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर

संस्थाप्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा.....पुत्र/पुत्री..... के छात्रवृत्ति आवेदन की जांच कर ली गई है आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित संलग्नक लगे हुए हैं। छात्र/छात्रा द्वारा प्रस्तुत आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर, बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी.कोड आदि को शालादर्पण पोर्टल पर अपडेट कर लिया गया है। अतः छात्र/छात्रा को सत्र 2019-20 की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

दिनांक :

स्थान :

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर

मय मोहर

आय का घोषणा पत्र

(पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)
पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में वर्ष 2019-20 के लिए
प्रारूप भाग-I

1. प्रार्थी (विद्यार्थी के पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक) का नाम.....
पिता/पति का नाम श्री.....आयु.....वर्ष.....माह.....
2. निवास स्थान का पूर्ण पता:-
3. आय का घोषणा पत्र देने वाले का पैन नम्बर (बीपीएल को छोड़कर)(जो स्पष्ट अंकित हो)
4. आय का घोषणा पत्र देने वाले का आधार नम्बर(जो स्पष्ट अंकित हो)
5. आय का घोषणा पत्र देने वाले का भामाशाह नम्बर(जो स्पष्ट अंकित हो)
6. आय का घोषणा पत्र देने वाले के समस्त स्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय का विवरण:- (सम्बन्धित पर चिन्हित करें, राजकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फार्म न. 16 भी संलग्न करें)

(1) कृषि भूमि(.....) आदि से आय: रु.	(2) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान, निकाय आदि से आय: रु.
(3) वेतन, पेंशन, भत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी आदि से आय: रु.....	(4) मशीनरी, किराये, दुकानदार, कारोबार, व्यवसाय या ब्याज, लाभांश से आय: रु.
(5) अन्य स्रोतों से आय: रु.	कुल वार्षिक आय: रु.

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

आय की घोषणा करने वाले का नाम
मय विद्यार्थी से सम्बंध

प्रारूप भाग-II

(दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण-पत्र)

हम शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि प्रार्थी/प्राथियों.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
.....निवासी.....को भली प्रकार से जानते हैं। इनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा के हम साक्षी हैं। हमारी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी/प्राथियों के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

(1) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति
का नाम.....

(2) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति
का नाम.....

(पद नाम, दिनांक मय मो.न.)

(पद नाम, दिनांक मय मो.न.)

नोट :- (उत्तरदायी व्यक्ति यथा-संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/उप महापौर/नगर निगम/नगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्षद/वार्ड मेम्बर/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अभिशंषा करवाए।)

प्रारूप भाग-III (शपथ -पत्र)

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....शपथपूर्वक उद्घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा/मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रु.....अक्षरे रु. है। उक्त शपथ-पत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं, यह अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य करने पर मेरे विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।

हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता

प्रारूप भाग-IV(प्रमाणीकरण)

उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम)पिता/पति का नाम
आयु.....निवासी.....ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत की पहचान मेरे के द्वारा की गई है।

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी
का नाम मय पद एवं रील

(कार्यपालक मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायबतहसीलदार/नगर निकायों के अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी/अन्य प्राधिकृत अधिकारी नोटरी पब्लिक/ऑथ कमिश्नर (रजिस्ट्रेशन क्रमांक) का नाम व पद मय मुहर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/SC-ST/2019-20

दिनांक : 03.07.2019

विस्तृत दिशानिर्देश वर्ष 2019-20

कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा संवर्ग (ओ.बी.सी.) के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित)

1. पात्रता/शर्तें :-

- छात्र/छात्रा अन्य पिछड़ा वर्ग का ही हो। (छात्र/छात्रा का जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
- छात्र/छात्रा राजकीय/शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
- छात्र/छात्रा के माता-पिता या उनके संरक्षक (माता-पिता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं हो।
- छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक परीक्षा में न्यूनतम C ग्रेड प्राप्त करना एवं कक्षा 9 में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
- छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
- छात्र/छात्रा पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।

2. छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैं :

विवरण	दरें (अधिकतम 10 माह के लिए)	
	डेस्कॉलर	हॉस्टलर
छात्रवृत्ति/माह	100रुपये	500 रुपये

3. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है :-

- छात्र/छात्रा के माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) का आय स्वघोषणा पत्र
- छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका (स्वप्रमाणित प्रति)।
- विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण-पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो (स्वप्रमाणित प्रति)।
- विद्यार्थी स्वयं की बैंक पासबुक व आधार कार्ड तथा परिवार भामाशाह कार्ड की छायाप्रति(स्वप्रमाणित प्रति)।

आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथियां निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
(अ)	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने की कार्यवाही	01.07.2019	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तय प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस में
(ब)	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	01.07.2019	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तय प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस में
(स)	निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा/निदेशालय संस्कृत शिक्षा द्वारा समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	--	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तय प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस में

पूरित आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। निजी विद्यालयों के आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय नोडल विद्यालय के द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे।


(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान सरकार
पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन पत्र प्रारूप
वर्ष 2019-20

विद्यार्थी का
स्वप्रमाणित
फोटो

विद्यार्थी की छात्रवृत्ति यूनीक आई.डी.....
(पूर्ति संस्थाप्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल से की जावेगी)

विद्यालय का नाम		:						
छात्रवृत्ति योजना का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है		:						
विद्यार्थी का विवरण									
1	विद्यार्थी का नाम	:						
2	जन्म तिथि	:		DD	MM		YYYY		
3	धर्म (हिन्दु/मुस्लिम/सिख/ईसाई/पारसी/बौद्ध/जैन/अन्य)	:						
4	लिंग(पुरुष/महिला/ट्रांसजेण्डर)	:						
5	कक्षा जिसमें अध्ययनरत है	:						
6	विद्यार्थी का S.R.नम्बर (विद्यालय द्वारा भरा जावे)	:						
6	गत कक्षा के विद्यालय का नाम व पता	:						
7	गत वर्ष की कक्षा एवं प्राप्तांक का विवरण (कक्षा 1-8 में ग्रेड-ए/बी/सी/डी/ई एवं कक्षा 9-12 में प्रतिशत)	:	कक्षा	पूर्णांक	प्राप्तांक	ग्रेड/प्रतिशत			
8	जाति वर्ग (अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/सामान्य/अल्पसंख्यक)	:						
9	डे-स्कॉलर/हॉस्टलर	:						
10	बैंक खाता संख्या	:						
11	बैंक एवं शाखा का नाम	:						
12	बैंक शाखा का आई.एफ.एस.कोड (IFSC)	:						
12	बैंक शाखा का एम.आई.सी.आर.कोड (MICR)	:						
13	बैंक खाता आधार सीडेड है (हां/नहीं)	:						
14	विद्यार्थी का आधार नम्बर	:						
15	आधार का एनरोलमेन्ट नम्बर (यदि विद्यार्थी ने आधार के लिए आवेदन किया हो परन्तु उसे आधार नम्बर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हो)	:						
16	भामाशाह नम्बर	:						
17	भामाशाह का एक्नोलेजमेन्ट नम्बर (यदि विद्यार्थी के परिवार ने भामाशाह परिवार कार्ड के लिए आवेदन किया हो परन्तु उन्हें भामाशाह परिवार कार्ड अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हो)	:						
18	छात्र का बैंक खाता भामाशाह डाटा से लिंक है (हां/नहीं)	:						
19	विद्यार्थी का मोबाईल नम्बर	:						
20	विद्यार्थी का ई-मेल आई.डी.	:						
विद्यार्थी के परिवार का विवरण									
21	पिता का नाम	:						
22	माता का नाम	:						
23	संरक्षक का नाम (माता-पिता के जीवित ना होने पर)	:						
24	परिवार की वार्षिक आय	:						
25	स्थाई पता/जिले का नाम/राज्य का नाम	:						
26	राशन कार्ड नम्बर	:						
27	क्या विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता प्राप्त कर रहा है (हां/नहीं) यदि हां तो विवरण दें	:						

क्र.सं.	योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	संलग्न कर <input checked="" type="checkbox"/> करें
1	माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) का आय स्वघोषणा-पत्र	
2	छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका (स्वप्रमाणित प्रति)।	
3	विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण-पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।	
4	विद्यार्थी की बैंक पासबुक, आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड (स्वप्रमाणित प्रति)।	
5	माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) के सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लिप्त होने का प्रमाण-पत्र	
6	माता-पिता के प्री-करगिल एवं पोस्ट-करगिल युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिक होने का प्रमाणपत्र	
7	भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाणपत्र (डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र एवं परिचय पत्र अथवा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र)।	

नोट :- वांछित दस्तावेज संलग्न करते हुए सामने के कॉलम में का निशान अंकित करें।

हस्ताक्षर विद्यार्थी

माता-पिता/संरक्षक द्वारा घोषणा

मैं (माता-पिता/संरक्षक) घोषणा करता हूँ/करती हूँ की मैंने योजना संबंधी सभी नियमों/निर्देशों की भली भांति अध्ययन कर लिया है। छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज में अंकित आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर, बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी.कोड सही है एवं छात्र/छात्रा किसी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा है। विद्यार्थी का बैंक खाता उसके आधार से सीडेड तथा भामाशाह डाटा से लिंक है। मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विवरण, संलग्न दस्तावेज, इस घोषणा में अंकित सूचनाएं गलत पाये जाने की स्थिति में यदि छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है तो इसका समस्त दायित्व मेरा स्वयं का होगा। भविष्य में किसी भी प्रकार की जांच प्रक्रिया में मेरे द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं अथवा दस्तावेज गलत पाए जाने की स्थिति में मेरे विरुद्ध पुलिस/वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी तथा मैं प्राप्त छात्रवृत्ति वापिस जमा करवाने का वचन देता हूँ/देती हूँ।

दिनांक :

हस्ताक्षर जांचकर्ता/कक्षाध्यापक

माता-पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर

संस्थाप्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा.....पुत्र/पुत्री..... के छात्रवृत्ति आवेदन की जांच कर ली गई है आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित संलग्नक लगे हुए हैं। छात्र/छात्रा द्वारा प्रस्तुत आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर, बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी.कोड आदि को शालादर्पण पोर्टल पर अपडेट कर लिया गया है। अतः छात्र/छात्रा को सत्र 2019-20 की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

दिनांक :

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर

स्थान :

मय मोहर

आय का घोषणा पत्र

(पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)

पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में वर्ष 2019-20 के लिए

प्रारूप भाग-I

1. प्रार्थी (विद्यार्थी के पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक) का नाम.....
पिता/पति का नाम श्री.....आयु.....वर्ष.....माह
2. निवास स्थान का पूर्ण पता:-
3. आय का घोषणा पत्र देने वाले का पैन नम्बर (बीपीएल को छोड़कर)(जो स्पष्ट अंकित हो)
4. आय का घोषणा पत्र देने वाले का आधार नम्बर(जो स्पष्ट अंकित हो)
5. आय का घोषणा पत्र देने वाले का भामाशाह नम्बर(जो स्पष्ट अंकित हो)
6. आय का घोषणा पत्र देने वाले के समस्त स्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय का विवरण:- (सम्बन्धित पर चिन्हित करें, राजकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फार्म न. 16 भी संलग्न करें)

(1) कृषि भूमि(.....) आदि से आय: रु.	(2) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान, निकाय आदि से आय: रु.
(3) वेतन, पेंशन, भत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी आदि से आय: रु.	(4) मशीनरी, किराये, दुकानदार, कारोबार, व्यवसाय या ब्याज, लाभांश से आय: रु.
(5) अन्य स्रोतों से आय: रु.	कुल वार्षिक आय: रु.

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

आय की घोषणा करने वाले का नाम

मय विद्यार्थी से सम्बंध

प्रारूप भाग-II

(दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण-पत्र)

हम शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि प्रार्थी/प्राथियों.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
.....निवासी.....को भली प्रकार से जानते हैं। इनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा के हम साक्षी हैं। हमारी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी/प्राथियों के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

(1) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति

(2) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति

का नाम.....

का नाम.....

(पद नाम, दिनांक मय मो.न.)

(पद नाम, दिनांक मय मो.न.)

नोट :- (उत्तरदायी व्यक्ति यथा-संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/उप महापौर/नगर निगम/नगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्शद/वार्ड मेम्बर/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अभिशंषा करवाए।)

प्रारूप भाग-III (शपथ -पत्र)

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....शपथपूर्वक उद्घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा/मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रु.....अक्षरे रु. है। उक्त शपथ-पत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं, यह अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य करने पर मेरे विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।

हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता

प्रारूप भाग-IV (प्रमाणीकरण)

उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम)पिता/पति का नाम

आयु.....निवासी.....ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत की पहचान मेरे के द्वारा की गई है।

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी

का नाम मय पद एवं सील

(कार्यपालक मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायबतहसीलदार/नगर निकायों के अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी/अन्य प्राधिकृत अधिकारी नोटरी पब्लिक/ऑथ कमिश्नर (रजिस्ट्रेशन क्रमांक) का नाम व पद मय मुहर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/SC-ST/2019-20

दिनांक : 02.07.2019

विस्तृत दिशानिर्देश वर्ष 2019-20

कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत अति पिछड़ा संवर्ग (एम.बी.सी.) के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

1. पात्रता/शर्त :-

- छात्र/छात्रा अति पिछड़ा वर्ग का ही हो। (छात्र/छात्रा का जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है) (एम.बी.सी में 1.बंजारा,बालदिया,लंबाना 2.गाडिया-लोहार,गाडोलिया 3.गूजर,गुर्जर 4.राईका,रैबारी(देबासी) तथा 5.गडरिया(गाडरी),गायरी जातियां शामिल हैं)
- छात्र/छात्रा राजकीय/शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
- छात्र/छात्रा के माता-पिता या उनके संरक्षक (माता-पिता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय 2.00 लाख से अधिक नहीं हो।
- छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
- छात्र/छात्रा पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।

2. छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैं :-

क्र.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10माह हेतु)
1	छात्र	6 से 8	50/- प्र.माह
2	छात्रा	6 से 8	100/- प्र.माह
3	छात्र	9 से 10	60/- प्र.माह
4	छात्रा	9 से 10	120/- प्र.माह


3. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है :-

- छात्र/छात्रा के माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) के सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लिप्त होने का प्रमाण-पत्र
- छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका (स्वप्रमाणित प्रति)।
- विद्यार्थी स्वयं की बैंक पासबुक व आधार कार्ड तथा परिवार भामाशाह कार्ड की छायाप्रति(स्वप्रमाणित प्रति)।

आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथियां निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
(अ)	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने की कार्यवाही	01.07.2019	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तय प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस में
(ब)	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	01.07.2019	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तय प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस में
(स)	निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा/निदेशालय संस्कृत शिक्षा द्वारा समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	--	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तय प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस में

पूरित आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। निजी विद्यालयों के आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय नोडल विद्यालय के द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे।


निथमल डिडेल

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान सरकार
पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन पत्र प्रारूप
वर्ष 2019-20

विद्यार्थी का
स्वप्रमाणित
फोटो

विद्यार्थी की छात्रवृत्ति यूनीक आई.डी.....
(पूर्ति संस्थाप्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल से की जावेगी)

विद्यालय का नाम		:			
छात्रवृत्ति योजना का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है		:			
विद्यार्थी का विवरण					
1	विद्यार्थी का नाम	:			
2	जन्म तिथि	DD	MM	YYYY	:
3	धर्म (हिन्दु/मुस्लिम/सिख/ईसाई/पारसी/बौद्ध/जैन/अन्य)	:			
4	लिंग(पुरुष/महिला/ट्रांसजेण्डर)	:			
5	कक्षा जिसमें अध्ययनरत है	:			
6	विद्यार्थी का S.R.नम्बर (विद्यालय द्वारा भरा जावे)	:			
6	गत कक्षा के विद्यालय का नाम व पता	:			
7	गत वर्ष की कक्षा एवं प्राप्तांक का विवरण (कक्षा 1-8 में ग्रेड-ए/बी/सी/डी/ई एवं कक्षा 9-12 में प्रतिशत)	कक्षा	पूर्णांक	प्राप्तांक	ग्रेड/प्रतिशत
8	जाति वर्ग (अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/सामान्य/अल्पसंख्यक)	:			
9	डे-स्कॉलर/हॉस्टलर	:			
10	बैंक खाता संख्या	:			
11	बैंक एवं शाखा का नाम	:			
12	बैंक शाखा का आई.एफ.एस.कोड (IFSC)	:			
12	बैंक शाखा का एम.आई.सी.आर.कोड (MICR)	:			
13	बैंक खाता आधार सीडेड है (हां/नहीं)	:			
14	विद्यार्थी का आधार नम्बर	:			
15	आधार का एनरोलमेन्ट नम्बर (यदि विद्यार्थी ने आधार के लिए आवेदन किया हो परन्तु उसे आधार नम्बर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हो)	:			
16	भामाशाह नम्बर	:			
17	भामाशाह का एक्नोलेजमेन्ट नम्बर (यदि विद्यार्थी के परिवार ने भामाशाह परिवार कार्ड के लिए आवेदन किया हो परन्तु उन्हें भामाशाह परिवार कार्ड अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हो)	:			
18	छात्र का बैंक खाता भामाशाह डाटा से लिंक है (हां/नहीं)	:			
19	विद्यार्थी का मोबाईल नम्बर	:			
20	विद्यार्थी का ई-मेल आई.डी.	:			
विद्यार्थी के परिवार का विवरण					
21	पिता का नाम	:			
22	माता का नाम	:			
23	संरक्षक का नाम (माता-पिता के जीवित ना होने पर)	:			
24	परिवार की वार्षिक आय	:			
25	स्थाई पता/जिले का नाम/राज्य का नाम	:			
26	राशन कार्ड नम्बर	:			
27	क्या विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता प्राप्त कर रहा है (हां/नहीं) यदि हां तो विवरण दें	:			

क्र.सं.	योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	संलग्न कर <input checked="" type="checkbox"/> करें
1	माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) का आय स्वघोषणा-पत्र	
2	छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका (स्वप्रमाणित प्रति)।	
3	विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण-पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।	
4	विद्यार्थी की बैंक पासबुक, आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड (स्वप्रमाणित प्रति)।	
5	माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) के सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लिप्त होने का प्रमाण-पत्र	
6	माता-पिता के प्री-करगिल एवं पोस्ट-करगिल युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिक होने का प्रमाणपत्र	
7	भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाणपत्र (डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र एवं परिचय पत्र अथवा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र)।	

नोट :- वांछित दस्तावेज संलग्न करते हुए सामने के कॉलम में का निशान अंकित करें।

हस्ताक्षर विद्यार्थी

माता-पिता/संरक्षक द्वारा घोषणा

मैं (माता-पिता/संरक्षक) घोषणा करता हूँ/करती हूँ की मैंने योजना संबंधी सभी नियमों/निर्देशों की भली भांति अध्ययन कर लिया है। छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज में अंकित आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर, बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी.कोड सही है एवं छात्र/छात्रा किसी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा है। विद्यार्थी का बैंक खाता उसके आधार से सीडेड तथा भामाशाह डाटा से लिंक है। मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विवरण, संलग्न दस्तावेज, इस घोषणा में अंकित सूचनाएं गलत पाये जाने की स्थिति में यदि छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है तो इसका समस्त दायित्व मेरा स्वयं का होगा। भविष्य में किसी भी प्रकार की जांच प्रक्रिया में मेरे द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं अथवा दस्तावेज गलत पाए जाने की स्थिति में मेरे विरुद्ध पुलिस/वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी तथा मैं प्राप्त छात्रवृत्ति वापिस जमा करवाने का वचन देता हूँ/देती हूँ।

दिनांक :

हस्ताक्षर जांचकर्ता/कक्षाध्यापक

माता-पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर

संस्थाप्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा.....पुत्र/पुत्री..... के छात्रवृत्ति आवेदन की जांच कर ली गई है आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित संलग्नक लगे हुए हैं। छात्र/छात्रा द्वारा प्रस्तुत आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर, बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी.कोड आदि को शालादर्पण पोर्टल पर अपडेट कर लिया गया है। अतः छात्र/छात्रा को सत्र 2019-20 की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

दिनांक :

स्थान :

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर

मय मोहर

आय का घोषणा पत्र

(पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)
 पूर्य मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में वर्ष 2019-20 के लिए
 प्रारूप भाग-I

1. प्रार्थी (विद्यार्थी के पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक) का नाम.....
 पिता/पति का नाम श्री.....आयु.....वर्ष.....माह
2. निवास स्थान का पूर्ण पता:-
3. आय का घोषणा पत्र देने वाले का पैन नम्बर (बीपीएल को छोड़कर)(जो स्पष्ट अंकित हो)
4. आय का घोषणा पत्र देने वाले का आधार नम्बर(जो स्पष्ट अंकित हो)
5. आय का घोषणा पत्र देने वाले का भामाशाह नम्बर(जो स्पष्ट अंकित हो)
6. आय का घोषणा पत्र देने वाले के समस्त स्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय का विवरण:- (सम्बन्धित पर विहित करें, राजकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फार्म न. 16 भी संलग्न करें)

(1) कृषि भूमि(.....) आदि से आय: रु.	(2) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान, निकाय आदि से आय: रु.
(3) वेतन, पेंशन, भत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी आदि से आय: रु.....	(4) मशीनरी, किराये, दुकानदार, कारोबार, व्यवसाय या ब्याज, लाभांश से आय: रु.
(5) अन्य स्रोतों से आय: रु.	कुल वार्षिक आय: रु.

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

आय की घोषणा करने वाले का नाम

मय विद्यार्थी से सम्बंध

प्रारूप भाग-II

(दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण-पत्र)

हम शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि प्रार्थी/प्राथियों.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी.....को भली प्रकार से जानते हैं। इनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा के हम साक्षी हैं। हमारी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी/प्राथियों के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

(1) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति
 का नाम.....

(2) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति
 का नाम.....

(पद नाम, दिनांक मय मो.न.)

(पद नाम, दिनांक मय मो.न.)

नोट :- (उत्तरदायी व्यक्ति यथा-संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/उप महापौर/नगर निगम/नगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्षद/वार्ड मेम्बर/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अभिशंषा करवाए।)

प्रारूप भाग-III (शपथ -पत्र)

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....शपथपूर्वक उद्घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा/मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रु.....अक्षरों रु. है। उक्त शपथ-पत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या हौना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं, यह अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य करने पर मेरे विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।

हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता

प्रारूप भाग-IV (प्रमाणीकरण)

उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम)पिता/पति का नाम
 आयु.....निवासी.....ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत की पहचान मेरे के द्वारा की गई है।

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी
 का नाम मय पद एवं सील

(कार्यपालक मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायबतहसीलदार/नगर निकायों के अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी/अन्य प्राधिकृत अधिकारी नोटरी पब्लिक/ऑथ कमिश्नर (रजिस्ट्रेशन क्रमांक) का नाम व पद मय मुहर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/SC-ST/2019-20

दिनांक : 03.07.2019

विस्तृत दिशानिर्देश वर्ष 2019-20

कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (SC-ST) के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

1. पात्रता एवं शर्तें :-

- छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का ही हो। (छात्र/छात्रा का जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
- छात्र/छात्रा राजकीय विद्यालय अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
- छात्र/छात्रा के माता-पिता या उनके संरक्षक (माता-पिता जीवित न होने पर) आयकर दाता न हो।
- छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
- छात्र/छात्रा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
- छात्र/छात्रा पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।

2. छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैं :

क्र.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (अधिकतम 10माह हेतु)
1	छात्र	6 से 8	75/- प्र.माह (SC व ST दोनों के लिए)
2	छात्रा	6 से 8	125/- प्र.माह (SC व ST दोनों के लिए)

3. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है :-

- छात्र/छात्रा के माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) का आय स्वघोषणा पत्र
- छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका (स्वप्रमाणित प्रति)।
- विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण-पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो (स्वप्रमाणित प्रति)।
- विद्यार्थी स्वयं की बैंक पासबुक व आधार कार्ड तथा परिवार भामाशाह कार्ड की छायाप्रति(स्वप्रमाणित प्रति)।

आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथियां निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
(अ)	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने की कार्यवाही	01.07.2019	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तय प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस में
(ब)	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	01.07.2019	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तय प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस में
(स)	निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा/निदेशालय संस्कृत शिक्षा द्वारा समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	--	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तय प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस में

पूरित आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। निजी विद्यालयों के आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय नोडल विद्यालय के द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे।



(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

राजस्थान सरकार
पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन पत्र प्रारूप
वर्ष 2019-20

विद्यार्थी का
स्वप्रमाणित
फोटो

विद्यार्थी की छात्रवृत्ति यूनीक आई.डी.....
(पूर्ति संस्थाप्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल से की जावेगी)

विद्यालय का नाम	:		
छात्रवृत्ति योजना का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है	:		
विद्यार्थी का विवरण				
1	विद्यार्थी का नाम	:	
2	जन्म तिथि	:	DD	MM
				YYYY
3	धर्म (हिन्दु/मुस्लिम/सिख/ईसाई/पारसी/बौद्ध/जैन/अन्य)	:	
4	लिंग(पुरुष/महिला/ट्रांसजेण्डर)	:	
5	कक्षा जिसमें अध्ययनरत है	:	
6	विद्यार्थी का S.R.नम्बर (विद्यालय द्वारा भरा जावे)	:	
6	गत कक्षा के विद्यालय का नाम व पता	:	
7	गत वर्ष की कक्षा एवं प्राप्तांक का विवरण (कक्षा 1-8 में ग्रेड-ए/बी/सी/डी/ई एवं कक्षा 9-12 में प्रतिशत)	:	कक्षा	पूर्णांक
			प्राप्तांक	ग्रेड/प्रतिशत
8	जाति वर्ग (अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/सामान्य/अल्पसंख्यक)	:	
9	डे-स्कॉलर/हॉस्टलर	:	
10	बैंक खाता संख्या	:	
11	बैंक एवं शाखा का नाम	:	
12	बैंक शाखा का आई.एफ.एस.कोड (IFSC)	:	
12	बैंक शाखा का एम.आई.सी.आर.कोड (MICR)	:	
13	बैंक खाता आधार सीडेड है (हां/नहीं)	:	
14	विद्यार्थी का आधार नम्बर	:	
15	आधार का एनरोलमेन्ट नम्बर (यदि विद्यार्थी ने आधार के लिए आवेदन किया हो परन्तु उसे आधार नम्बर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हो)	:	
16	भामाशाह नम्बर	:	
17	भामाशाह का एक्नोलेजमेन्ट नम्बर (यदि विद्यार्थी के परिवार ने भामाशाह परिवार कार्ड के लिए आवेदन किया हो परन्तु उन्हें भामाशाह परिवार कार्ड अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हो)	:	
18	छात्र का बैंक खाता भामाशाह डाटा से लिंक है (हां/नहीं)	:	
19	विद्यार्थी का मोबाईल नम्बर	:	
20	विद्यार्थी का ई-मेल आई.डी.	:	
विद्यार्थी के परिवार का विवरण				
21	पिता का नाम	:	
22	माता का नाम	:	
23	संरक्षक का नाम (माता-पिता के जीवित ना होने पर)	:	
24	परिवार की वार्षिक आय	:	
25	स्थाई पता/जिले का नाम/राज्य का नाम	:	
26	राशन कार्ड नम्बर	:	
27	क्या विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता प्राप्त कर रहा है (हां/नहीं) यदि हां तो विवरण दें	:	

क्र.सं.	योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	संलग्न कर <input checked="" type="checkbox"/> करें
1	माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) का आय स्वघोषणा-पत्र	
2	छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका (स्वप्रमाणित प्रति)।	
3	विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण-पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।	
4	विद्यार्थी की बैंक पासबुक, आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड (स्वप्रमाणित प्रति)।	
5	माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) के सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लिप्त होने का प्रमाण-पत्र	
6	माता-पिता के प्री-करगिल एवं पोस्ट-करगिल युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिक होने का प्रमाणपत्र	
7	मृतपूर्व सैनिक होने का प्रमाणपत्र (डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र एवं परिचय पत्र अथवा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र)।	

नोट :- वांछित दस्तावेज संलग्न करते हुए सामने के कॉलम में का निशान अंकित करें।

हस्ताक्षर विद्यार्थी

माता-पिता/संरक्षक द्वारा घोषणा

मैं (माता-पिता/संरक्षक) घोषणा करता हूँ/करती हूँ की मैंने योजना संबंधी सभी नियमों/निर्देशों की भली भांति अध्ययन कर लिया है। छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज में अंकित आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर, बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी.कोड सही है एवं छात्र/छात्रा किसी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा है। विद्यार्थी का बैंक खाता उसके आधार से सीडेड तथा भामाशाह डाटा से लिंक है। मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विवरण, संलग्न दस्तावेज, इस घोषणा में अंकित सूचनाएं गलत पाये जाने की स्थिति में यदि छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है तो इसका समस्त दायित्व मेरा स्वयं का होगा। भविष्य में किसी भी प्रकार की जांच प्रक्रिया में मेरे द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं अथवा दस्तावेज गलत पाए जाने की स्थिति में मेरे विरुद्ध पुलिस/वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी तथा मैं प्राप्त छात्रवृत्ति वापिस जमा करवाने का वचन देता हूँ/देती हूँ।

दिनांक :

हस्ताक्षर जांचकर्ता/कक्षाध्यापक

माता-पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर

संस्थाप्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा.....पुत्र/पुत्री..... के छात्रवृत्ति आवेदन की जांच कर ली गई है आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित संलग्नक लगे हुए हैं। छात्र/छात्रा द्वारा प्रस्तुत आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर, बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी.कोड आदि को शालादर्पण पोर्टल पर अपडेट कर लिया गया है। अतः छात्र/छात्रा को सत्र 2019-20 की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

दिनांक :

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर

स्थान :

मय मोहर

आय का घोषणा पत्र

(पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)
 पूर्ण गैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में वर्ष 2019-20 के लिए
 प्रारूप भाग-I

1. प्रार्थी (विद्यार्थी के पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक) का नाम.....
 पिता/पति का नाम श्री.....आयु.....वर्ष.....माह
2. निवास स्थान का पूर्ण पता:-
3. आय का घोषणा पत्र देने वाले का पैन नम्बर (बीपीएल को छोड़कर)(जो स्पष्ट अंकित हो)
4. आय का घोषणा पत्र देने वाले का आधार नम्बर(जो स्पष्ट अंकित हो)
5. आय का घोषणा पत्र देने वाले का भाभाशाह नम्बर(जो स्पष्ट अंकित हो)
6. आय का घोषणा पत्र देने वाले के समस्त स्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय का विवरण:- (सम्बन्धित पर चिन्हित करें, राजकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फार्म न. 16 भी संलग्न करें)

(1) कृषि भूमि(.....) आदि से आय: रु.	(2) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान, निकाय आदि से आय: रु.
(3) वेतन, पेंशन, भत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी आदि से आय: रु.....	(4) मशीनरी, किराये, दुकानदार, कारोबार, व्यवसाय या ब्याज, लाभांश से आय: रु.
(5) अन्य स्रोतों से आय: रु.	कुल वार्षिक आय: रु.

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

आय की घोषणा करने वाले का नाम

मय विद्यार्थी से सम्बंध

प्रारूप भाग-II

(दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण-पत्र)

हम शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि प्रार्थी/प्राथियों.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
 निवासी.....को भली प्रकार से जानते हैं। इनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा के हम साक्षी हैं। हमारी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी/प्राथियों के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

(1) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति का नाम.....

(2) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति का नाम.....

(पद नाम, दिनांक मय मो.न.)

(पद नाम, दिनांक मय मो.न.)

नोट :- (उत्तरदायी व्यक्ति यथा-संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/उप महापौर/नगर निगम/नगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्षद/वार्ड मेम्बर/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अभिशंषा करवाए।)

प्रारूप भाग-III (शपथ -पत्र)

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....शपथपूर्वक उद्घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा/मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रु.....अक्षरें रु. है। उक्त शपथ-पत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं, यह अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य करने पर मेरे विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।

हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता

प्रारूप भाग-IV (प्रमाणीकरण)

उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम)पिता/पति का नाम

आयु.....निवासी.....ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत की पहचान मेरे के द्वारा की गई है।

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी

का नाम मय पद एवं सील

(कार्यपालक मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायबतहसीलदार/नगर निकायों के अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी/अन्य प्राधिकृत अधिकारी नोटरी पब्लिक/ऑथ कमिश्नर (रजिस्ट्रेशन क्रमांक) का नाम व पद मय मुहर

विस्तृत दिशानिर्देश वर्ष 2019-20

सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक (UNCLEAN) छात्रवृत्ति

1. पात्रता/शर्तें :-

- छात्र/छात्रा सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के परिवार का ही हो। (छात्र/छात्रा के परिवार का उक्त व्यवसाय में लिप्त होने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
- छात्र/छात्रा राजकीय/शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
- छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
- छात्र/छात्रा पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।

2. छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैं :-

DAYSCHOLARS

कक्षा छात्र/छात्रा	छात्रवृत्ति दरें (10माह हेतु)	वार्षिक अनुदान
1 से 10	110	750

HOSTELLERS (छात्रावासी)

कक्षा छात्र/छात्रा	छात्रवृत्ति दरें (10माह हेतु)	वार्षिक अनुदान
3 से 10	700	1000

3. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है :-

- छात्र/छात्रा के माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) के सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लिप्त होने का प्रमाण-पत्र
- छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका (स्वप्रमाणित प्रति)।
- विद्यार्थी स्वयं की बैंक पासबुक व आधार कार्ड तथा परिवार भामाशाह कार्ड की छायाप्रति(स्वप्रमाणित प्रति)।

आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथियां निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
(अ)	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने की कार्यवाही	01.07.2019	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तय प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस में
(ब)	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	01.07.2019	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तय प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस में
(स)	निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा/निदेशालय संस्कृत शिक्षा द्वारा समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	--	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तय प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस में

पूरित आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। निजी विद्यालयों के आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय नोडल विद्यालय के द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे।


(नथमल डिंडेल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान सरकार
पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन पत्र प्रारूप
वर्ष 2019-20

विद्यार्थी का
स्वप्रमाणित
फोटो

विद्यार्थी की छात्रवृत्ति यूनीक आई.डी.....
(पूर्ति संस्थाप्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल से की जावेगी)

विद्यालय का नाम	:		
छात्रवृत्ति योजना का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है	:		
विद्यार्थी का विवरण				
1	विद्यार्थी का नाम	:	
2	जन्म तिथि	:	DD	MM
				YYYY
3	धर्म (हिन्दु/मुस्लिम/सिख/ईसाई/पारसी/बौद्ध/जैन/अन्य)	:	
4	लिंग(पुरुष/महिला/ट्रांसजेण्डर)	:	
5	कक्षा जिसमें अध्ययनरत है	:	
6	विद्यार्थी का S.R.नम्बर (विद्यालय द्वारा भरा जावे)	:	
6	गत कक्षा के विद्यालय का नाम व पता	:	
7	गत वर्ष की कक्षा एवं प्राप्तांक का विवरण (कक्षा 1-8 में ग्रेड-ए/बी/सी/डी/ई एवं कक्षा 9-12 में प्रतिशत)	:	कक्षा	पूर्णांक
			प्राप्तांक	ग्रेड/प्रतिशत
8	जाति वर्ग (अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/सामान्य/अल्पसंख्यक)	:	
9	डे-स्कॉलर/हॉस्टलर	:	
10	बैंक खाता संख्या	:	
11	बैंक एवं शाखा का नाम	:	
12	बैंक शाखा का आई.एफ.एस.कोड (IFSC)	:	
12	बैंक शाखा का एम.आई.सी.आर.कोड (MICR)	:	
13	बैंक खाता आधार सीडेड है (हां/नहीं)	:	
14	विद्यार्थी का आधार नम्बर	:	
15	आधार का एनरोलमेन्ट नम्बर (यदि विद्यार्थी ने आधार के लिए आवेदन किया हो परन्तु उसे आधार नम्बर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हो)	:	
16	भामाशाह नम्बर	:	
17	भामाशाह का एक्नोलेजमेन्ट नम्बर (यदि विद्यार्थी के परिवार ने भामाशाह परिवार कार्ड के लिए आवेदन किया हो परन्तु उन्हें भामाशाह परिवार कार्ड अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हो)	:	
18	छात्र का बैंक खाता भामाशाह डाटा से लिंक है (हां/नहीं)	:	
19	विद्यार्थी का मोबाईल नम्बर	:	
20	विद्यार्थी का ई-मेल आई.डी.	:	
विद्यार्थी के परिवार का विवरण				
21	पिता का नाम	:	
22	माता का नाम	:	
23	संरक्षक का नाम (माता-पिता के जीवित ना होने पर)	:	
24	परिवार की वार्षिक आय	:	
25	स्थाई पता/जिले का नाम/राज्य का नाम	:	
26	राशन कार्ड नम्बर	:	
27	क्या विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता प्राप्त कर रहा है (हां/नहीं) यदि हां तो विवरण दें	:	

क्र.सं.	योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	संलग्न कर <input checked="" type="checkbox"/> करें
1	माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) का आय स्वघोषणा-पत्र	
2	छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका (स्वप्रमाणित प्रति)।	
3	विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण-पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।	
4	विद्यार्थी की बैंक पासबुक, आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड (स्वप्रमाणित प्रति)।	
5	माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) के सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लिप्त होने का प्रमाण-पत्र	
6	माता-पिता के प्री-करगिल एवं पोस्ट-करगिल युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टर्स में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिक होने का प्रमाणपत्र	
7	भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाणपत्र (डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र एवं परिचय पत्र अथवा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र)।	

नोट :- वांछित दस्तावेज संलग्न करते हुए सामने के कॉलम में का निशान अंकित करें।

हस्ताक्षर विद्यार्थी

माता-पिता/संरक्षक द्वारा घोषणा

मैं (माता-पिता/संरक्षक) घोषणा करता हूँ/करती हूँ की मैंने योजना संबंधी सभी नियमों/निर्देशों की भली भांति अध्ययन कर लिया है। छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज में अंकित आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर, बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी.कोड सही है एवं छात्र/छात्रा किसी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा है। विद्यार्थी का बैंक खाता उसके आधार से सीडेड तथा भामाशाह डाटा से लिंक है। मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विवरण, संलग्न दस्तावेज, इस घोषणा में अंकित सूचनाएं गलत पाये जाने की स्थिति में यदि छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है तो इसका समस्त दायित्व मेरा स्वयं का होगा। भविष्य में किसी भी प्रकार की जांच प्रक्रिया में मेरे द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं अथवा दस्तावेज गलत पाए जाने की स्थिति में मेरे विरुद्ध पुलिस/वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी तथा मैं प्राप्त छात्रवृत्ति वापिस जमा करवाने का वचन देता हूँ/देती हूँ।

दिनांक :

हस्ताक्षर जांचकर्ता/कक्षाध्यापक

माता-पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर

संस्थाप्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा.....पुत्र/पुत्री..... के छात्रवृत्ति आवेदन की जांच कर ली गई है आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित संलग्नक लगे हुए हैं। छात्र/छात्रा द्वारा प्रस्तुत आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर, बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी.कोड आदि को शालादर्पण पोर्टल पर अपडेट कर लिया गया है। अतः छात्र/छात्रा को सत्र 2019-20 की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

दिनांक :

स्थान :

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर

मय मोहर

आय का घोषणा पत्र

(पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)

पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में वर्ष 2019-20 के लिए

प्रारूप भाग-I

1. प्रार्थी (विद्यार्थी के पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक) का नाम.....
पिता/पति का नाम श्री.....आयु.....वर्ष.....माह
2. निवास स्थान का पूर्ण पता:-
3. आय का घोषणा पत्र देने वाले का पैन नम्बर (बीपीएल को छोड़कर)(जो स्पष्ट अंकित हो)
4. आय का घोषणा पत्र देने वाले का आधार नम्बर(जो स्पष्ट अंकित हो)
5. आय का घोषणा पत्र देने वाले का भामाशाह नम्बर(जो स्पष्ट अंकित हो)
6. आय का घोषणा पत्र देने वाले के समस्त स्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय का विवरण:- (सम्बंधित पर चिन्हित करें, राजकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फार्म न. 16 भी संलग्न करें)

(1) कृषि भूमि(.....) आदि से आय: रु.	(2) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान, निकाय आदि से आय: रु.
(3) वेतन, पेंशन, भत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी आदि से आय: रु.	(4) मशीनरी, किराये, दुकानदार, कारोबार, व्यवसाय या ब्याज, लाभांश से आय: रु.
(5) अन्य स्रोतों से आय: रु.	कुल वार्षिक आय: रु.

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

आय की घोषणा करने वाले का नाम

मय विद्यार्थी से सम्बंध

प्रारूप भाग-II

(दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण-पत्र)

हम शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि प्रार्थी/प्राथियों.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
.....निवासी.....को भली प्रकार से जानते हैं। इनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा के हम साक्षी हैं। हमारी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी/प्राथियों के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

(1) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति

(2) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति

का नाम.....

का नाम.....

(पद नाम, दिनांक मय मो.न.)

(पद नाम, दिनांक मय मो.न.)

नोट :- (उत्तरदायी व्यक्ति यथा-संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/उप महापौर/नगर निगम/नगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्षद/वार्ड मेम्बर/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अभिशंषा करवाए।)

प्रारूप भाग-III (शपथ -पत्र)

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....शपथपूर्वक उद्घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा/मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रु.....अक्षरे रु. है। उक्त शपथ-पत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं, यह अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य करने पर मेरे विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।

हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता

प्रारूप भाग-IV(प्रमाणीकरण)

उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम)पिता/पति का नाम

आयु.....निवासी.....ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत की पहचान मेरे के द्वारा की गई है।

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी
का नाम मय पद एवं सील

(कार्यपालक मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायबतहसीलदार/नगर निकायों के अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी/अन्य प्राधिकृत अधिकारी नोटरी पब्लिक/ऑथ कमिश्नर (रजिस्ट्रेशन क्रमांक) का नाम व पद मय मुहर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/SC-ST/2019-20

दिनांक : 03.07.2019

विस्तृत दिशानिर्देश वर्ष 2019-20

प्री-करगिल एवं पोस्ट-करगिल युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृत्ति

1. पात्रता/शर्तें :-

- छात्र/छात्रा प्री-करगिल एवं पोस्ट-करगिल युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों का आश्रित हो।
- छात्र/छात्रा राजकीय/शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
- छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
- छात्र/छात्रा पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।

2. छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैं :-

क्र.सं.	कक्षा	दरें (अधिकतम 10माह हेतु)
1	1 से 10	180/- प्र.माह

3. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है :-

- छात्र/छात्रा के माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) के प्री-करगिल एवं पोस्ट-करगिल युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिक होने का प्रमाणपत्र
- छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका (स्वप्रमाणित प्रति)।
- विद्यार्थी स्वयं की बैंक पासबुक व आधार कार्ड तथा परिवार भामाशाह कार्ड की छायाप्रति(स्वप्रमाणित प्रति)।

आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथियां निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
(अ)	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने की कार्यवाही	01.07.2019	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तय प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस में
(ब)	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	01.07.2019	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तय प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस में
(स)	निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा/निदेशालय संस्कृत शिक्षा द्वारा समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	--	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तय प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस में

पूरित आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। निजी विद्यालयों के आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय नोडल विद्यालय के द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे।



(नथमल डिलेल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

राजस्थान सरकार
पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन पत्र प्रारूप
वर्ष 2019-20

विद्यार्थी का
स्वप्रमाणित
फोटो

विद्यार्थी की छात्रवृत्ति यूनीक आई.डी.....
(पूर्ति संस्थाप्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल से की जावेगी)

विद्यालय का नाम	:		
छात्रवृत्ति योजना का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है	:		
विद्यार्थी का विवरण				
1	विद्यार्थी का नाम	:	
2	जन्म तिथि	:	DD	MM
				YYYY
3	धर्म (हिन्दु/मुस्लिम/सिख/ईसाई/पारसी/बौद्ध/जैन/अन्य)	:	
4	लिंग(पुरुष/महिला/ट्रांसजेण्डर)	:	
5	कक्षा जिसमें अध्ययनरत है	:	
6	विद्यार्थी का S.R.नम्बर (विद्यालय द्वारा भरा जावे)	:	
6	गत कक्षा के विद्यालय का नाम व पता	:	
7	गत वर्ष की कक्षा एवं प्राप्तांक का विवरण (कक्षा 1-8 में ग्रेड-ए/बी/सी/डी/ई एवं कक्षा 9-12 में प्रतिशत)	:	कक्षा	पूर्णांक
			प्राप्तांक	ग्रेड/प्रतिशत
8	जाति वर्ग (अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/सामान्य/अल्पसंख्यक)	:	
9	डे-स्कॉलर/हॉस्टलर	:	
10	बैंक खाता संख्या	:	
11	बैंक एवं शाखा का नाम	:	
12	बैंक शाखा का आई.एफ.एस.कोड (IFSC)	:	
12	बैंक शाखा का एम.आई.सी.आर.कोड (MICR)	:	
13	बैंक खाता आधार सीडेड है (हां/नहीं)	:	
14	विद्यार्थी का आधार नम्बर	:	
15	आधार का एनरोलमेन्ट नम्बर (यदि विद्यार्थी ने आधार के लिए आवेदन किया हो परन्तु उसे आधार नम्बर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हो)	:	
16	भामाशाह नम्बर	:	
17	भामाशाह का एक्नोलेजमेन्ट नम्बर (यदि विद्यार्थी के परिवार ने भामाशाह परिवार कार्ड के लिए आवेदन किया हो परन्तु उन्हें भामाशाह परिवार कार्ड अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हो)	:	
18	छात्र का बैंक खाता भामाशाह डाटा से लिंक है (हां/नहीं)	:	
19	विद्यार्थी का मोबाईल नम्बर	:	
20	विद्यार्थी का ई-मेल आई.डी.	:	
विद्यार्थी के परिवार का विवरण				
21	पिता का नाम	:	
22	माता का नाम	:	
23	संरक्षक का नाम (माता-पिता के जीवित ना होने पर)	:	
24	परिवार की वार्षिक आय	:	
25	स्थाई पता/जिले का नाम/राज्य का नाम	:	
26	राशन कार्ड नम्बर	:	
27	क्या विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता प्राप्त कर रहा है (हां/नहीं) यदि हां तो विवरण दें	:	

क्र.सं.	योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	संलग्न कर <input checked="" type="checkbox"/> करें
1	माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) का आय स्वघोषणा-पत्र	
2	छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका (स्वप्रमाणित प्रति)।	
3	विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण-पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।	
4	विद्यार्थी की बैंक पासबुक, आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड (स्वप्रमाणित प्रति)।	
5	माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) के सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लिप्त होने का प्रमाण-पत्र	
6	माता-पिता के प्री-करगिल एवं पोस्ट-करगिल युद्धों तथा विभिन्न इन्टरजेन्सी काउन्टरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिक होने का प्रमाणपत्र	
7	भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाणपत्र (डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र एवं परिचय पत्र अथवा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र)।	

नोट :- वांछित दस्तावेज संलग्न करते हुए सामने के कॉलम में का निशान अंकित करें।

हस्ताक्षर विद्यार्थी

माता-पिता/संरक्षक द्वारा घोषणा

मैं (माता-पिता/संरक्षक) घोषणा करता हूँ/करती हूँ की मैंने योजना संबंधी सभी नियमों/निर्देशों की भली भांति अध्ययन कर लिया है। छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज में अंकित आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर, बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी.कोड सही है एवं छात्र/छात्रा किसी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा है। विद्यार्थी का बैंक खाता उसके आधार से सीडेड तथा भामाशाह डाटा से लिंक है। मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विवरण, संलग्न दस्तावेज, इस घोषणा में अंकित सूचनाएं गलत पाये जाने की स्थिति में यदि छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है तो इसका समस्त दायित्व मेरा स्वयं का होगा। भविष्य में किसी भी प्रकार की जांच प्रक्रिया में मेरे द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं अथवा दस्तावेज गलत पाए जाने की स्थिति में मेरे विरुद्ध पुलिस/वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी तथा मैं प्राप्त छात्रवृत्ति वापिस जमा करवाने का वचन देता हूँ/देती हूँ।

दिनांक :

हस्ताक्षर जांचकर्ता/कक्षाध्यापक

माता-पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर

संस्थाप्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा.....पुत्र/पुत्री..... के छात्रवृत्ति आवेदन की जांच कर ली गई है आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित संलग्नक लगे हुए हैं। छात्र/छात्रा द्वारा प्रस्तुत आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर, बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी.कोड आदि को शालादर्पण पोर्टल पर अपडेट कर लिया गया है। अतः छात्र/छात्रा को सत्र 2019-20 की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

दिनांक :

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर

स्थान :

मय मोहर

आय का घोषणा पत्र

(पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)

पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में वर्ष 2019-20 के लिए

प्रारूप भाग-I

1. प्रार्थी (विद्यार्थी के पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक) का नाम.....
पिता/पति का नाम श्री.....आयु.....वर्ष.....माह
2. निवास स्थान का पूर्ण पता:-
3. आय का घोषणा पत्र देने वाले का पैन नम्बर (बीपीएल को छोड़कर)(जो स्पष्ट अंकित हो)
4. आय का घोषणा पत्र देने वाले का आधार नम्बर(जो स्पष्ट अंकित हो)
5. आय का घोषणा पत्र देने वाले का भामाशाह नम्बर(जो स्पष्ट अंकित हो)
6. आय का घोषणा पत्र देने वाले के समस्त स्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय का विवरण:- (सम्बन्धित पर चिन्हित करें, राजकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फार्म न. 16 भी संलग्न करें)

(1) कृषि भूमि(.....) आदि से आय: रु.	(2) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान, निकाय आदि से आय: रु.
(3) वेतन, पेंशन, भत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी आदि से आय: रु.	(4) मशीनरी, किराये, दुकानदार, कारोबार, व्यवसाय या ब्याज, लाभांश से आय: रु.
(5) अन्य स्रोतों से आय: रु.	कुल वार्षिक आय: रु.

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

आय की घोषणा करने वाले का नाम

मय विद्यार्थी से सम्बंध

प्रारूप भाग-II

(दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण-पत्र)

हम शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि प्रार्थी/प्राथियों.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी.....को भली प्रकार से जानते हैं। इनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा के हम साक्षी हैं। हमारी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी/प्राथियों के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

(1) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति

(2) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति

का नाम.....

का नाम.....

(पद नाम, दिनांक मय मो.न.)

(पद नाम, दिनांक मय मो.न.)

नोट :- (उत्तरदायी व्यक्ति यथा-संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/उप महापौर/नगर निगम/नगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्षद/वार्ड मेम्बर/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अभिशप्ता करवाए।)

प्रारूप भाग-III (शपथ -पत्र)

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....शपथपूर्वक उद्घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा/मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रु.....अक्षरों रु. है। उक्त शपथ-पत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं, यह अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य करने पर मेरे विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।

हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता

प्रारूप भाग-IV (प्रमाणीकरण)

उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम)पिता/पति का नाम

आयु.....निवासी.....ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत की पहचान मेरे के द्वारा की गई है।

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी

का नाम मय पद एवं सील

(कार्यपालक मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायबतहसीलदार/नगर निकायों के अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी/अन्य प्राधिकृत अधिकारी नोटरी पब्लिक/ऑथ कमिश्नर (रजिस्ट्रेशन क्रमांक) का नाम व पद मय मुहर

प्रपत्र-4 "क"

(प्री-करगिल (1.4.99 से पूर्व) एवं पोस्ट-करगिल (1.4.99 के पश्चात्) युद्धों तथा अन्य विभिन्न इन्सरेन्सीज काउंटर्स में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों हेतु छात्रवृत्ति आवेदन पत्र)

1. शहीद /स्थायी विकलांग सैनिक का नाम
2. शहीद /स्थायी विकलांग होने की तारीख
3. रैंक/यूनिट नम्बर
4. शहीद / स्थायी विकलांग होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
5. उत्तराधिकारी (फौज के अभिलेख अनुसार) प्रतिलिपि संलग्न करें । उत्तराधिकारी के निवास स्थान का पूर्ण पता भी लिखा जावे।
6. शिक्षार्थी का नाम व शहीद के साथ संबंध (आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे)
7. कक्षा जिसमें अध्ययनरत है
8. विद्यालय का नाम व पूर्ण पता

प्रति हस्ताक्षर
(जिला सैनिक कल्याण अधिकारी)

हस्ताक्षर विद्यार्थी

हस्ताक्षर अभिभावक

मूल प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक)..... को प्रस्तुत कर निवेदन है कि छात्र/छात्रा इस विद्यालय /संस्था की कक्षा में शैक्षणिक वर्ष (.....) अन्तर्गत अध्ययनरत है ।

दिनांक :

हस्ताक्षर संस्था प्रधान मय सील

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी.....

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र जांच उपरान्त सही पाया गया है तथा इसका इन्द्राज संबंधित रजिस्टर में कर आवेदन पत्र रिकार्ड पर रख लिया गया है । संबंधित छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति हेतु नियमानुसार पात्र है।

दिनांक :

हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक/प्रारम्भिक) मय सील

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य / छाप्रोप्र / ए / 60171 / SC-ST / 2019-20

दिनांक : 03.07.2019

विस्तृत दिशानिर्देश वर्ष 2019-20

भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति

1. पात्रता / शर्तें :-

- छात्रा भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्री हो।
- छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में कक्षा 11 अथवा 12 में नियमित अध्ययनरत हो।
- छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
- छात्र/छात्रा पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।

2. छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैं :-

क्र.सं.	कक्षा	दरें (अधिकतम 10माह हेतु)
1	11 से 12	100/- प्र.माह

3. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है :-

- छात्र/छात्रा के माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) के भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाणपत्र (डिस्ट्रिक्ट प्रमाण-पत्र एवं परिचय पत्र अथवा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र)।
- छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका (स्वप्रमाणित प्रति)।
- विद्यार्थी स्वयं की बैंक पासबुक व आधार कार्ड तथा परिवार भामाशाह कार्ड की छायाप्रति(स्वप्रमाणित प्रति)।

आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथियां निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
(अ)	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने की कार्यवाही	01.07.2019	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तय प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस में
(ब)	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	01.07.2019	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तय प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस में
(स)	निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा/निदेशालय संस्कृत शिक्षा द्वारा समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	--	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तय प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस में

पूरित आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। निजी विद्यालयों के आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय नोडल विद्यालय के द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे।



(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान सरकार
पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन पत्र प्रारूप
वर्ष 2019-20

विद्यार्थी का
स्वप्रमाणित
फोटो

विद्यार्थी की छात्रवृत्ति यूनीक आई.डी.....
(पूर्ति संस्थाप्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल से की जावेगी)

विद्यालय का नाम	:		
छात्रवृत्ति योजना का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है	:		
विद्यार्थी का विवरण				
1	विद्यार्थी का नाम	:	
2	जन्म तिथि	:	DD	MM
				YYYY
3	धर्म (हिन्दु/मुस्लिम/सिख/ईसाई/पारसी/ बौद्ध/जैन/अन्य)	:	
4	लिंग(पुरुष/महिला/ट्रांसजेण्डर)	:	
5	कक्षा जिसमें अध्ययनरत है	:	
6	विद्यार्थी का S.R.नम्बर (विद्यालय द्वारा भरा जावे)	:	
6	गत कक्षा के विद्यालय का नाम व पता	:	
7	गत वर्ष की कक्षा एवं प्राप्तांक का विवरण (कक्षा 1-8 में ग्रेड-ए/बी/सी/डी/ई एवं कक्षा 9-12 में प्रतिशत)	:	कक्षा	पूर्णांक
			प्राप्तांक	ग्रेड/प्रतिशत
8	जाति वर्ग (अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग/सामान्य/अल्पसंख्यक)	:	
9	डे-स्कॉलर/हॉस्टलर	:	
10	बैंक खाता संख्या	:	
11	बैंक एवं शाखा का नाम	:	
12	बैंक शाखा का आई.एफ.एस.कोड (IFSC)	:	
12	बैंक शाखा का एम.आई.सी.आर.कोड (MICR)	:	
13	बैंक खाता आधार सीडेड है (हां/नहीं)	:	
14	विद्यार्थी का आधार नम्बर	:	
15	आधार का एनरोलमेन्ट नम्बर (यदि विद्यार्थी ने आधार के लिए आवेदन किया हो परन्तु उसे आधार नम्बर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हो)	:	
16	भामाशाह नम्बर	:	
17	भामाशाह का एक्नोलेजमेन्ट नम्बर (यदि विद्यार्थी के परिवार ने भामाशाह परिवार कार्ड के लिए आवेदन किया हो परन्तु उन्हें भामाशाह परिवार कार्ड अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हो)	:	
18	छात्र का बैंक खाता भामाशाह डाटा से लिंक है (हां/नहीं)	:	
19	विद्यार्थी का मोबाईल नम्बर	:	
20	विद्यार्थी का ई-मेल आई.डी.	:	
विद्यार्थी के परिवार का विवरण				
21	पिता का नाम	:	
22	माता का नाम	:	
23	संरक्षक का नाम (माता-पिता के जीवित ना होने पर)	:	
24	परिवार की वार्षिक आय	:	
25	स्थाई पता/जिले का नाम/राज्य का नाम	:	
26	राशन कार्ड नम्बर	:	
27	क्या विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता प्राप्त कर रहा है (हां/नहीं) यदि हां तो विवरण दें	:	

क्र.सं.	योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	संलग्न कर <input checked="" type="checkbox"/> करें
1	माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) का आय स्वघोषणा-पत्र	
2	छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका (स्वप्रमाणित प्रति)।	
3	विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण-पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।	
4	विद्यार्थी की बैंक पासबुक, आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड (स्वप्रमाणित प्रति)।	
5	माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) के सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लिप्त होने का प्रमाण-पत्र	
6	माता-पिता के प्री-करगिल एवं पोस्ट-करगिल युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिक होने का प्रमाणपत्र	
7	भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाणपत्र (डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र एवं परिचय पत्र अथवा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र)।	

नोट :- वांछित दस्तावेज संलग्न करते हुए सामने के कॉलम में का निशान अंकित करें।

हस्ताक्षर विद्यार्थी

माता-पिता/संरक्षक द्वारा घोषणा

मैं (माता-पिता/संरक्षक) घोषणा करता हूँ/करती हूँ की मैंने योजना संबंधी सभी नियमों/निर्देशों की भली भांति अध्ययन कर लिया है। छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज में अंकित आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर, बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी.कोड सही है एवं छात्र/छात्रा किसी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा है। विद्यार्थी का बैंक खाता उसके आधार से सीडेड तथा भामाशाह डाटा से लिंक है। मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विवरण, संलग्न दस्तावेज, इस घोषणा में अंकित सूचनाएं गलत पाये जाने की स्थिति में यदि छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है तो इसका समस्त दायित्व मेरा स्वयं का होगा। भविष्य में किसी भी प्रकार की जांच प्रक्रिया में मेरे द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं अथवा दस्तावेज गलत पाए जाने की स्थिति में मेरे विरुद्ध पुलिस/वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी तथा मैं प्राप्त छात्रवृत्ति वापिस जमा करवाने का वचन देता हूँ/देती हूँ।

दिनांक :

हस्ताक्षर जांचकर्ता/कक्षाध्यापक

माता-पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर

संस्थाप्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा.....पुत्र/पुत्री..... के छात्रवृत्ति आवेदन की जांच कर ली गई है आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित संलग्नक लगे हुए हैं। छात्र/छात्रा द्वारा प्रस्तुत आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर, बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी.कोड आदि को शालादर्पण पोर्टल पर अपडेट कर लिया गया है। अतः छात्र/छात्रा को सत्र 2019-20 की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

दिनांक :

स्थान :

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर

मय मोहर

आय का घोषणा पत्र

(पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)

पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में वर्ष 2019-20 के लिए

प्रारूप भाग-I

1. प्रार्थी (विद्यार्थी के पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक) का नाम.....
पिता/पति का नाम श्री.....आयु.....वर्ष.....माह
2. निवास स्थान का पूर्ण पता:-
3. आय का घोषणा पत्र देने वाले का पैन नम्बर (बीपीएल को छोड़कर)(जो स्पष्ट अंकित हो)
4. आय का घोषणा पत्र देने वाले का आधार नम्बर(जो स्पष्ट अंकित हो)
5. आय का घोषणा पत्र देने वाले का भामाशाह नम्बर(जो स्पष्ट अंकित हो)
6. आय का घोषणा पत्र देने वाले के समस्त स्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय का विवरण:- (सम्बन्धित पर चिन्हित करें, राजकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फार्म न. 16 भी संलग्न करें)

(1) कृषि भूमि(.....) आदि से आय: रु.	(2) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान, निकाय आदि से आय: रु.
(3) वेतन, पेंशन, भत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी आदि से आय: रु.....	(4) मशीनरी, किराये, दुकानदार, कारोबार, व्यवसाय या ब्याज, लाभांश से आय: रु.
(5) अन्य स्रोतों से आय: रु.	कुल वार्षिक आय: रु.

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

आय की घोषणा करने वाले का नाम

मय विद्यार्थी से सम्बन्ध

प्रारूप भाग-II

(दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण-पत्र)

हम शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि प्रार्थी/प्राथियों.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
.....निवासी.....को भली प्रकार से जानते हैं। इनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा के हम साक्षी हैं। हमारी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी/प्राथियों के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

(1) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति

(2) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति

का नाम.....

का नाम.....

(पद नाम, दिनांक मय मो.न.)

(पद नाम, दिनांक मय मो.न.)

नोट :- (उत्तरदायी व्यक्ति यथा-संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/उप महापौर/नगर निगम/नगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्श्व/वार्ड मेम्बर/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अभिशांषा करवाए।)

प्रारूप भाग-III (शपथ -पत्र)

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....शपथपूर्वक उद्घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा/मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रु.....अक्षरे रु. है। उक्त शपथ-पत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं, यह अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य करने पर मेरे विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।

हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता

प्रारूप भाग-IV(प्रमाणीकरण)

उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम)पिता/पति का नाम

आयु.....निवासी.....ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत की पहचान मेरे के द्वारा की गई है।

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी

का नाम मय पद एवं शील

(कार्यपालक मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायबतहसीलदार/नगर निकायों के अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी/अन्य प्राधिकृत अधिकारी नोटरी पब्लिक/ऑथ कमिश्नर (रजिस्ट्रेशन क्रमांक) का नाम व पद मय मुहर

भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत छात्रा के रूप में प्रतिभावान
पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति योजना
(सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र – ख)

क्रमांक : दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....पद.....

संख्या.....भूतपूर्व सैनिक तथा इनकी पुत्री नाम.....

कक्षा..... में अध्ययनरत है राजस्थान स्थित ग्राम.....तहसील.....

जिला..... के मूल निवासी है।

दिनांक :

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी
हस्ताक्षर मय मोहर